राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः प.3(50)नविवि/3/2012 जयपुर, दिनांक 2 SEP 2024

आदेश

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 25.06.2024 के अतिक्रमण में राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 11 के उप नियम (2) तथा नियम 19 के उप नियम (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार निर्देश जारी करती है कि निम्नांकित तालिका में वर्णित स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उनके सम्मुख दर्शाये गयी सीमा से अधिक क्षेत्रफल के लिए पट्टा विलेख राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात जारी किये जायेंगेः–

तालिका–I

स्थानीय प्राधिकारी	आवासीय	गैर आवासीय
समस्त विकास प्राधिकरण क्षेत्र	10,000 व.मी.	4,000 व.मी.
अन्य समस्त स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा	5,000 व.मी.	2500 व.मी.

तालिका–II

विभागीय आदेश क्रमांक प.17(2)नविवि/नियम/2023 दिनांक 12.05.2023 के **"आदेश–क"** के अतिक्रमण में राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम–2012 के नियम 11 के उपनियम 2 के तहत स्थानीय प्राधिकारियों के क्षेत्र में **औद्योगिक सम्परिवर्तन** की स्वीकृति हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता हैः–

समिति	स्थानीय प्राधिकारी	क्षेत्रफल
(1) प्राधिकरण स्तरीय समितिः– 1. आयुक्त, विकास प्राधिकरण – अध्यक्ष 2. सचिव, विकास प्राधिकरण – सदस्य सचिव 3. निदेशक आयोजना विकास प्राधिकरण – सदस्य 4. निदेशक विधि, विकास प्राधिकरण – सदस्य	जयपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/कोटा विकास प्राधिकरण क्षेत्र	10,000 वर्गमीटर से अधिक
(2) न्यास स्तरीय समितिः– 1. अध्यक्ष, नगर विकास न्यास – अध्यक्ष 2. सचिव – सदस्य सचिव 3. आयोजना शाखा प्रभारी ATP/DTP/STP – सदस्य 4. विधि अधिकारी – सदस्य **(3) नगरपालिका स्तरीय समितिः–** 1. जिला कलक्टर – अध्यक्ष 2. आयोजना शाखा का वरिष्ठतम अधिकारी (ATP/DTP/STP) – सदस्य 3. जिला कलक्टर कार्यालय में पदस्थापित उच्चतर विधि अधिकारी – सदस्य 4. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी – सदस्य सचिव	अन्य समस्त स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा	10,000 वर्गमीटर से अधिक

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ /आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन विभाग, जयपुर।
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. आयुक्त/सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त सचिव, नगर विकास न्यास, राजस्थान।
10. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
11. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका मण्डल, राजस्थान।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

शासन उप सचिव–प्रथम

Document certified by RAVI VIJAY
<ravijay26@gmail.com>

Digitally Signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy
Secretary To Government
Date :02-09-2024 05:23:46